[To be published in the Official Gazette, Extra Ordinary Part-II, Section-3, subsection (ii)]

Ministry of Corporate Affairs Notifications

New Delhi,

Dated: 26.10.2018

S.O.____(E) In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (herein after referred to as the said Act), the Central Government hereby establishes the office of the Registrar of Companies cum Official Liquidator at Dehradun, having territorial jurisdiction in the whole State of Uttarakhand for discharging the functions of the Registrar of Companies under the various provisions of the said Act and appoints the Registrar of Companies cum Official Liquidator at Dehradun for the purpose of registration of companies and discharging the functions under the said Act in the State of Uttarakhand.

2. This notification shall come into force with effect from 29.10.2018.

[F. No.1/16/2013 -CL-V]

(Gyaneshwar Kumar Singh) Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली,

दिनांक : 26.10.2018

का.आ. _____ (अ).- केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन कंपनी रिजिस्ट्रार के कार्यों के निर्वहन के लिए देहरादून में कंपनी रिजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक कार्यालय स्थापित करती है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तराखंड के संपूर्ण राज्य में होगी और उत्तराखंड राज्य में उक्त अधिनियम के अधीन कंपनियों के रिजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए और कार्यों के निर्वहन के लिए देहरादून में कंपनी रिजिस्ट्रार सह-शासकीय समापक नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना तारीख 29.10.2018 को प्रवृत होगी।

[फा.सं. 1/16/2013-सीएल-V]

त्रानेश्वर कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार